

पर्यावरण

सुमाष चन्द्र,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

रोका में,

अपर प्रमुख बन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
बन भूमि हरतातरण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कालोनी दहरादून।

बन एवं पर्यावरण अनुभाग—4

दहरादून: दिनांक: 28 अगस्त, 2018

**विषय:** जनपद-नैनीताल में विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकण्डा-खन्सायू-पतलोट मोटर मार्ग के कि0मी0 85 में खन्सायू रा0मा0 स0 64 में 42 मी0 स्पान कलास-ए (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु 0.02 हेठल बन भूमि का गैर बानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-380/FP/UK/ROAD/33941/2018, दिनांक 04.08.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-नैनीताल में विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकण्डा-खन्सायू-पतलोट मोटर मार्ग के कि0मी0 85 में खन्सायू रा0मा0 स0 64 में 42 मी0 स्पान कलास-ए (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु 0.02 हेठल बन भूमि का गैर बानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक रवीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन गंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित रथल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् बृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान येतन दरों को समादृत करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0स0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की नियोरित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का व्यवनवद्धता प्रस्तुत करेगे कि राक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूति पौधारोपण निधि प्रवंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0पी0-25229, कापोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी0जो0ओ0 काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का प्रत्यक्ष विकास अवधि एवं एन0पी0वी0 शक्तिशाली त्र्यागेपापा प्रस्तावित रक्कम के आम-पास

वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रिमेखों/प्रेमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की रिप्टि में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

मवदीय,

(सुभाष चन्द्र)

अपर सचिव।

संख्या: 848 (1)/X-4-18/1(140)/2018, तददिनांकित्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
6. अधिशासी अधियंता, विश्व.वैंक, लो0नि�0वि0, नैनीताल।
7. गाड़ फाईल।

अ.ज्ञा.से,

(रात्यप्रकाश सिंह)

उप सचिव।